न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/टीए/2005/6080/कोटा

श्री शिवसिंह (मृतक) पुत्र श्री सुल्तान सिंह जरिये विधिक वारिसान

1/ लक्ष्मण पुत्र श्री शिव सिंह,

1/ दशरथ सिंह पुत्र श्री शिव सिंह,

1/ करण सिंह पुत्र श्री शिव सिंह,

1/ रघुवीर सिंह पुत्र श्री शिव सिंह,

1/ श्रीमती सरोज कंवर पुत्री श्री शिव सिंह पत्नी शिवराज सिंह,

1/ नन्दकंवर पुत्री श्री शिव सिंह पत्नी श्री प्रताप सिंह,

1/ श्रीमती पुष्प कंवर पुत्री श्री शिव सिंह पत्नी श्री महेन्द्र सिंह,

सभी जाति राजपूत सभी निवासीगण ग्राम खेड़ली महाराजा, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा। **...अपीलार्थीगण**

बनाम

1. श्रीमति रतन कंवर पुत्री श्री गोपीचंद (चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी), निवासी कोटा मार्फत महारानी सीनियर कन्या विद्यालय, रामपुरा कोटा।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार पीपल्दा, जिला कोटा। **... प्रत्यर्थीगण**

खण्ड–पीठ

श्री टीकम चन्द बोहरा, सदस्य

श्री राजेन्द्र सिंह कविया, सदस्य

उपस्थितः–

1. श्री माधवराज सिंह, अभिभाषक अपीलार्थीगण।
2. श्री योगेन्द्र सिंह शक्तावत, श्री जी.एस. चारण व श्री रोहित पंवार, अभिभाषकगण प्रत्यर्थीगण।

दिनांक : 12.06.2026

निर्णय

1. हस्तगत द्वितीय अपील न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा (जिसे आगे **"अपील न्यायालय"** लिखा जाएगा) द्वारा प्रकरण संख्या 84/2005 में पारित निर्णय दिनांक 2005 के विरूद्ध राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि अपीलार्थी/वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, इटावा (जिसे आगे **"विचारण न्यायालय"** लिखा जाएगा) में धारा 88, 89 व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत एक वाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि विवादित भूमि पर उसके पिता सुल्तान सिंह राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 लागू होने से पहले शिकमी जैली काश्तकार के रूप में काबिज थे, जिन्हें खातेदारी अधिकार प्राप्त हो गए थे। पिता की मृत्यु के बाद अपीलार्थी लगातार विवादित आराजी पर काबिज है,

लेकिन प्रतिवादीगण उसके शांतिपूर्ण कब्जे में नाजायज हस्तक्षेप करते हैं। अपीलार्थी/वादी ने वाद में स्वयं को खातेदार घोषित करवाने और प्रतिवादीगण पर स्थाई निषेधाज्ञा की प्रार्थना की। प्रतिवादीगण ने जवाब दावे में कथन किया कि विवादित भूमि गोपीचंद पुत्र सांवला के खाते में दर्ज थी, जिसकी मृत्यु के बाद उक्त भूमि उनकी पत्नी सदा कंवर व पुत्री रतनकंवर के नाम दर्ज हो गई। यह गोपीचंद की खुदकाश्त भूमि होने से सदा कंवर व रतनकंवर इसके कानूनन खातेदार हैं। वादी नाजायज उन्हें बेदखल करना चाहता है। काउण्टर क्लेम पेश कर उन्होंने वादी को उनके कब्जे में हस्तक्षेप न करने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा का निवेदन किया। विचारण न्यायालय द्वारा बाद विचारण निर्णय दिनांक 19.04.2005 पारित करते हुए वादी को खातेदारी प्राप्त नहीं होने के आधार पर प्रस्तुत वाद खारिज किया गया एवं साथ ही प्रतिवादी का कब्जा न होने से उनका काउण्टर क्लेम भी निरस्त कर दिया। विचारण न्यायालय के उक्त निर्णय के विरुद्ध अपीलार्थी ने वाद खारिज होने पर अपील सं. 22/2005 और प्रत्यर्थी ने काउण्टर क्लेम खारिज होने पर अपील सं. 84/2005 राजस्व अपील अधिकारी, कोटा (जिसे आगे **"अपील न्यायालय"** लिखा जाएगा) के समक्ष पेश की। अपील लंबित रहते प्रत्यर्थी ने दिनांक 2005 को आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. सपठित धारा 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत संशोधन प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अभिकथन किया कि वादी ने 1998 में विवादित भूमि पर नाजायज कब्जा कर लिया था एवं प्रतिवादीगण द्वारा जिला कलक्टर, कोटा के समक्ष प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करने पर दिनांक 1999 को वादी को बेदखल करने का आदेश दिया। जिला कलक्टर, कोटा के उक्त आदेश को राजस्व मण्डल न्यायालय द्वारा दिनांक 2002 को निरस्त किया गया, जिसके पश्चात वादी द्वारा विवादित भूमि पर वापस कब्जा कर लिया गया। जिस कारण से काउण्टर क्लेम में पैरा 2(अ), 2(ब) व 2(स) जोड़कर वादी को बेदखल कर कब्जा दिलाने की मांग प्रतिवादीगण द्वारा की गई। अपीलार्थी/वादी ने उक्त संशोधन का विरोध करते हुए अभिकथन किया कि कब्जा कभी विपक्षीगण को नहीं मिला, कब्जा वादी व उसके पिता का ही रहा है। इस संशोधन से दावे की पूरी नोइयत बदल जाएगी और विचारण न्यायालय की ट्रायल बेमानी हो जाएगी। यह भी अभिकथन किया गया कि वर्ष 2002 के संशोधन से आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. विलोपित हो चुका है, अतः संशोधन निरस्त किए जाने का निवेदन किया। राजस्व अपील अधिकारी ने दिनांक 2005 को विपक्षी का संशोधन प्रार्थना पत्र स्वीकार कर पत्रावली परीक्षण न्यायालय को संशोधित जवाब दावे के अनुसार दुबारा निर्णीत करने के लिए प्रतिप्रेषित कर दी, परंतु अपीलार्थी की अपील सं. 22/2005 पर कोई निर्णय नहीं दिया। अतः अपील न्यायालय के उक्त आदेश दिनांक 27.10.2005 के विरुद्ध, जिसमें विपक्षीगण की अपील प्रतिप्रेषित की गई और अपीलार्थी की अपील पर फैसला नहीं दिया गया, हस्तगत अपील मण्डल न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई है।

3. विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने लिखित बहस प्रस्तुत करते हुए अपना पक्ष रखा। लिखित बहस में उनके द्वारा उल्लिखित किया गया है कि जिला कलेक्टर, कोटा को अपीलार्थी को बेदखल करने का आदेश देने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था, और उस आदेश के तहत अपीलार्थी की बेदखली हुई भी नहीं। राजस्व मण्डल अजमेर ने दिनांक 2002 को कलेक्टर का आदेश दिनांक 12.07.1999 निरस्त कर दिया, जिससे उक्त आदेश null and void हो गया। फिर भी अपीलीय न्यायालय ने उसी रद्द आदेश को आधार बनाते हुए प्रतिवादी का Order 6 Rule 17 का संशोधन प्रार्थना पत्र मंजूर कर लिया, जो विधिविरुद्ध होकर उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर का निर्णय है। विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी के अभिकथनानुसार प्रतिवादी द्वारा दायर काउण्टर क्लेम अंतर्गत धारा 188 में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 प्रस्तुत कर धारा 183 के तहत अनुतोष याचित किया गया। अपीलीय न्यायालय ने त्वरित न्याय और मुकदमेबाजी कम करने के नाम पर संशोधन मंजूर कर दिया। अपील न्यायालय का यह मानना कि इससे वाद हेतुक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सर्वथा गलत है, क्योंकि धारा 183 में मियाद लागू होती है, जबकि धारा 188 में नहीं। धारा 183 के वाद में प्रतिवादी को पुराना कब्जा साबित करना था जो ट्रायल कोर्ट में साबित नहीं हुआ। इससे वाद हेतुक पूरी तरह बदल जाता है। : इस प्रकार का अनुतोष अपील न्यायालय नहीं दे सकता है।

4. अपील न्यायालय ने अपीलार्थी की अपील पर मैरिट पर कोई निर्णय नहीं दिया। मात्र प्रतिवादी के आदेश 6 नियम 17 के प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण प्रतिप्रेषित कर दिया। जबकि आदेश 41 नियम 31 के तहत अपील न्यायालय को विचारण न्यायालय के हर विवाद बिंदु पर न्यायिक मस्तिष्क लगाकर निर्णय देना चाहिए था। अपील न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी की अपील संख्या 66/05 पर कोई विचार नहीं किया। मात्र एक प्रार्थना पत्र के आधार पर दोनों अपीलें प्रतिप्रेषित करना भारी कानूनी भूल है। उपर्युक्त तर्कों के आधार पर विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने हस्तगत अपील स्वीकार कर अपील न्यायालय का निर्णय दिनांक 2005 निरस्त करने का निवेदन किया।

5. प्रत्यर्थीगण के विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि विभिन्न न्यायिक दृष्टांतों को उद्धृत करते हुए कथन किया कि न्यायिक दृष्टांत 2001 9 SCC पेज 385 भूरा मोगिया बनाम सतीश में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि राजस्थान कश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 209 के तहत राजस्व न्यायालय न्यायोचित व समान समझे तो पक्षकारों के मांगे बिना भी उन्हें राहत दे सकती है, चाहे वाद पत्र में उस अनुतोष का उल्लेख न हो। 2004 DNJ (SC) पेज 826 पंकज बनाम येहलापा में माननीय उच्चतम न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत वाद में संशोधन की अनुमति देने का न्यायालय का अधिकार बहुत विस्तृत है।

न्यायहित में अत्यधिक विलंब के बाद भी संशोधन मंजूर किया जा सकता है, बशर्ते उससे मुकदमेबाजी कम हो। RRD 2003 पेज 33 में मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में माननीय उच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया है कि वैकल्पिक अनुतोष का संशोधन किसी भी स्तर पर स्वीकार किया जा सकता है, यदि वाद के हेतुक में परिवर्तन न हो और संशोधन का उद्देश्य जानबूझकर विलंब करना न हो। इसी प्रकार 1999 RRD पेज 3 छीतर बनाम रघुवीर में राजस्व मण्डल ने अभिनिर्धारित किया है कि यदि विवाद के वास्तविक हेतुक के निर्धारण के लिए संशोधन आवश्यक हो तो अनुमति दी जा सकती है।

6. उपर्युक्त सभी न्यायिक दृष्टांतों के आधार पर विद्वान अभिभाषक प्रत्यर्थी ने कथन किया कि मुकदमेबाजी कम करने के लिए और सही निर्णय तक पहुंचने हेतु यदि वाद में संशोधन जरूरी है तो न्यायालय को विस्तृत अधिकार है। प्रतिवादी द्वारा आदेश 6 नियम 17 के तहत अनुतोष में संशोधन का प्रार्थना पत्र वाद दायर करने के बाद निगरानी में हुए निर्णय से बदली परिस्थितियों के कारण दिया गया है। इससे वाद हेतुक में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अतः अपील न्यायालय के आक्षेपित आदेश को यथावत् रखते हुए प्रस्तुत अपील अस्वीकार करने का निवेदन किया।

7. बहस उभयपक्षीय सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा की अपील संख्या 84/2005 में दिनांक 2005 को पारित निर्णय का निष्कर्ष निम्नानुसार हैः–

"दोनों लायक अधिवक्ता इस तथ्य तक तो सहमत हैं कि जिला कलेक्टर ने दिनांक 99 का वादी को बेदखल किये जाने हेतु आदेश दिया था तथा दिनांक 99 को अपीलांट को तहसीलदार ने पुलिस बल के माध्यम से कब्जा दिलाया था जिसके विरूद्ध वादी निगरानीकर्ता ने माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी एवं माननीय राजस्व मण्डल ने इस तथ्य के आधार पर कि जिला कलेक्टर द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाये प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया उचित नहीं है निगरानीकर्ता की निगरानी प्रार्थना पत्र स्वीकार किया प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाये जाने के पश्चात वादीगण द्वारा दावा किया गया है जिसके कारण दावा जवाब दावा काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के पश्चात वाद पत्र के दौरान परिस्थितियां बदल गयी हैं जिसके कारण दावा का निर्णय भी प्रभावित हो जाता है। प्रतिवादीगण के लायक अधिवक्ता ने जो न्यायिक दृष्टान्त पेश किये हैं उनका भी विवेचन किया जाना हम उचित समझते हैं। (2001) 9 एस.सी.सी. पेज 385 भूरा मोगिया बनाम सतीश में माननीय न्यायालय ने यह निर्णित किया है कि राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 की धारा 209 के अंतर्गत राजस्व न्यायालय जो न्यायोचित एवं समान समझे के अनुसार पक्षकारान के द्वारा नहीं चाहने के बावजूद भी पक्षकारान को राहत प्रदान कर सकते हैं चाहे पक्षकारान द्वारा अपने वाद पत्र में उस अनुतोष का

उल्लेख नहीं किया गया हो। 2004 डीएनजे (एस.सी.) पेज 826 पंकज बनाम येहलापा के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि ऑर्डर 6 रूल 17 सी.पी.सी. के अन्तर्गत वाद में संशोधन की अनुमति देने का न्यायालय का क्षेत्राधिकार काफी विस्तृत है। यहां तक कि न्यायहित में अत्यधिक विलम्ब होने के पश्चात भी संशोधन की अनुमति दी जा सकती है बशर्ते कि उससे मुकदमेबाजी को कम से कम किया जा सके। आरआरडी 2003 पेज 331 मांगीलाल बनाम स्टेट ऑफ राजस्थान में उच्च न्यायालय ने निर्णित किया है कि वैकल्पिक अनुतोष के संशोधन की स्वीकृति किसी भी स्तर पर दी जा सकती है बशर्ते कि वाद के हेतुक में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है और संशोधन का उद्देश्य वाद पत्र में जानबूझकर विलम्ब नहीं करना हो। 1999 आरआरडी पेज 3 छीतर बनाम रघुवीर में माननीय राजस्व मण्डल ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि विवाद के वास्तविक हेतुक के निर्धारण के लिए यदि संशोधन करना आवश्यक हो तो संशोधन की अनुमति दी जा सकती है। वादी के लायक अधिवक्ता ने अपने कथन की पुष्टि में आरआरडी 1993 पेज 788, 781 तथा आरबीजे 2004 पेज 650 के न्यायिक दृष्टान्त पेश किये जिसके अनुसार यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि संशोधन में अत्यधिक विलम्ब किया है तो वह स्वीकार योग्य नहीं है। आरबीजे 2004 पेज 650 में माननीय राजस्व मण्डल ने कहा है कि यदि दावे के नेचर में परिवर्तन हो जाता है – तो 209 के अन्तर्गत संशोधन की अनुमति नहीं दी जा सकती। लायक अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्तों के अवलोकन के पश्चात हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि यदि न्याय हित में तथा मुकदमेबाजी को कम करने के लिए एवं सही निर्णय तक पहुंचने के लिए वाद में कोई संशोधन आवश्यक है तो उसकी अनुमति देने का विस्तृत न्यायिक क्षेत्राधिकार न्यायालय को प्रदत्त है। प्रतिवादीगण द्वारा ऑर्डर 6 रूल 17 के अन्तर्गत अनुतोष में जो संशोधन का प्रार्थना पत्र दिया है वह वादपत्र दायर करने के बाद निगरानी में हुए निर्णय से परिवर्तित परिस्थितयों के कारण होना प्रथम दृष्टया पाया जाता है। वाद के काज ऑफ एक्शन में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रतिवादीगण रेस्पोंडेन्ट के लायक अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त इस प्रकरण पर पूर्णतया लागू होते हैं और न्यायहित में संशोधन की अनुमति दिया जाना उचित समझते हैं। अतः वादीगण का प्रार्थना पत्र सीपीसी के अन्तर्गत आदेश 6 रूल 17 स्वीकार किया जाता है एवं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय को निर्देश दिये जाते हैं कि वह पक्षकारान को उचित सुनवाई का अवसर देकर पुनः निर्णय पारित करे। प्रतिवादी रेस्पोडेन्ट को निर्देश दिये जाते है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित होकर 14 दिन के भीतर संशोधित जवाब दावा, काउन्टर क्लेम प्रार्थना पत्र अनुसार प्रस्तुत करे।"

8. अधीनस्थ अपील न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत अपील संख्या 84/2005 की मेरिट के बारे में किसी भी प्रकार का कोई निर्णय नहीं किया

है और विपक्षी के प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के आधार पर ही केस को पुनः रिमांड किया है। अतः हम यहां पर विचारण न्यायालय के निर्णय के मेरिट पर विचार करना उचित समझते हैं।

9. न्यायालय उपखंड अधिकारी इटावा द्वारा प्रकरण संख्या 326/02 दावा अंतर्गत 88, 89 व 188, 92ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 उनवान शिव सिंह बनाम रतन कंवर आदि में दिनांक 2005 को विधिवत तनकीयात बनाए जाकर प्रत्येक तनकी का विश्लेषण करते हुए साक्ष्यों के आधार पर निर्णय पारित किया है जिसमें वादी का वाद साबित नहीं होना पाया गया है। विचारण न्यायालय ने तनकी नंबर 1 से 7 तक अपना अभिमत विस्तृत रूप से प्रकट किया है और वादी का वाद खारिज करने योग्य पाया है। विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या 8 इस प्रकार कायम की गई– "आया प्रतिवादीगण रेवेन्यू रिकॉर्ड से वादी के पिता सुल्तान सिंह का नाम हटाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरुस्ती कराने की अधिकारिणी हैं एवं वादी के खिलाफ स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी हैं ? जिम्मे प्रतिवादी।"

10. इस तनकी पर विचारण न्यायालय की फाइंडिंग इस प्रकार है– इस तनकी को सिद्ध करने का भार प्रतिवादी पर था। प्रतिवादीगण ने विवादग्रस्त आराजी को खातेदार होने व काबिज होने से वादी के विरुद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने व सुल्तान सिंह जैली का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटवाने का अधिकारी होना बताया लेकिन मुताबिक रिकॉर्ड व साक्ष्य प्रतिवादीगण का कब्जा है अथवा नहीं, पटवारी की साक्ष्य, करता पिलाई की रसीदें इत्यादि रिकॉर्ड अथवा मौके पर भौतिक रूप से काश्त होने का प्रमाण स्वयं द्वारा भी प्रमाणित नहीं किया गया है और न ही 183 राजस्थान टीनेंसी एक्ट के तहत पूर्व में भी वादी के विरुद्ध वाद ही प्रस्तुत किया है, बल्कि अपना कब्जा बताया है जो प्रमाणित नहीं है। ऐसी स्थिति में इस तनकी को प्रतिवादीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है। अतः विचारण न्यायालय द्वारा इस तनकी का निर्णय प्रतिवादीगण के विरुद्ध किया गया।

11. इस तनकी के संबंध में हम प्रथम अपील न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में पाए गए निष्कर्षो को उद्धृत करना उचित समझते हैं, जिसमें उन्होंने अपने निर्णय के अनुच्छेद 6 में यह उल्लेख किया है कि प्रतिवादीगण के लायक अधिवक्ता ने अपने काउंटर क्लेम एवं प्रार्थना पत्र में जो कथन किया है, को दोहराया और इसके अतिरिक्त कथन किया कि वादी अपीलार्थी ने दावा दिनांक 2000 को प्रस्तुत किया था, उस दिन प्रतिवादीगण का कब्जा था एवं काउंटर क्लेम पेश करने के समय भी प्रतिवादीगण का कब्जा था। जिला कलेक्टर के आदेश दिनांक 1999 की पालना में तहसीलदार द्वारा दिनांक 1999 को कब्जा दिलाया गया था, इस कारण अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम में कब्जा दिलाने का अंकन नहीं किया गया था। यद्यपि काउंटर क्लेम में न्यायालय जो उचित समझे न्याय दिलाने हेतु प्रार्थना की थी

एवं अधिनियम की धारा 209 के अंतर्गत यदि दावे के दौरान कब्जे की स्थिति में परिवर्तन हो जाता है, तो न्यायालय अपने स्तर पर भी अनुतोष प्रदान कर सकता है। माननीय राजस्व मंडल ने जिला कलेक्टर के आदेश को दिनांक 05.03.2002 के निर्णय से खारिज कर दिया था जिसकी आड़ में वादी ने पुनः कब्जा कर लिया जिसके कारण जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम में उक्त संशोधन किया जाना आवश्यक हो गया।

12. वादी के लायक अधिवक्ता ने कथन किया कि माननीय राजस्व मंडल राजस्थान अजमेर के निर्णय के पश्चात दिनांक 2003 को साक्ष्य हुई। प्रतिवादी रतन कंवर के बयान 2004 को हुए थे, जिसमें उन्होंने यह नहीं कहा कि वादी ने वादग्रस्त भूमि पर दिनांक 2002 के बाद कब्जा कर लिया हो। 2 वर्ष के पश्चात जवाब दावा एवं काउंटर क्लेम में संशोधन करने से वाद की नेचर प्रभावित हो जाएगी। यदि प्रतिवादीगण चाहे तो धारा 183 का दावा अलग से ला सकते हैं। सी.पी.सी. में संशोधन कर दिया है, जिसके अनुसार दावे का निर्णय होने के पश्चात संशोधन नहीं किया जा सकता। केवल प्रोविजो के अंतर्गत आने वाले संशोधन ही किए जा सकते हैं। काउंटर क्लेम के जवाब के समय इनका कब्जा नहीं था इसलिए 183 के लिए प्रार्थना पत्र भी पेश नहीं कर सकते। 1999 में प्रतिवादीगण द्वारा धारा 183 का दावा किया था वह भी खारिज किया गया था। जिला कलेक्टर के आदेश की पालना हमारे ऊपर लागू नहीं हुई है। यदि इन्होंने कोई कागजी कार्यवाही की है तो वह वादी के ऊपर लागू नहीं होती है। प्रतिवादीगण के लायक अधिवक्ता ने अपनी जिरह में कथन किया कि दावा अपीलार्थी द्वारा किया गया है वह भी जिला कलेक्टर के आदेश के बाद किया गया है। खातेदार वादग्रस्त भूमि पर काबिज था। तहसीलदार एवं पुलिस द्वारा नियमानुसार कब्जा दिलाया गया था। यदि वादी का कब्जा था तो उसे अपील करने की क्या आवश्यकता थी ?

13. प्रथम अपील न्यायालय में उभयपक्षीय अधिवक्तागण के उपर्युक्त तर्कों के उपरांत राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा ने अपने निर्णय में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया है कि दोनों लायक अधिवक्तागण इस तथ्य तक तो सहमत हैं कि जिला कलेक्टर ने दिनांक 12.07.1999 को वादी को बेदखल किए जाने हेतु आदेश दिया था तथा दिनांक 15.07.1999 को प्रतिवादी को तहसीलदार ने पुलिस बल के माध्यम से कब्जा दिलाया था, जिसके विरुद्ध वादी अपीलार्थी ने माननीय राजस्व मंडल अजमेर में अपील प्रस्तुत की थी एवं माननीय राजस्व मंडल ने इस तथ्य के आधार पर कि जिला कलेक्टर द्वारा बिना विधिक प्रक्रिया अपनाए प्रतिवादीगण को कब्जा दिलाया जाना उचित नहीं है। **अर्थात् राजस्व मंडल के निर्णय के उपरांत वादी/अपीलार्थी ने विवादग्रस्त भूमि पर पुलिस बल के माध्यम से तहसीलदार के द्वारा कब्जा प्राप्त किया। इससे यह स्पष्ट है कि इससे पूर्व वादी का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा नहीं था।**

14. इस प्रकार बदली हुई पश्चातवर्ती परिस्थितियों से यह साबित होता है कि प्रतिवादीगण का विवादग्रस्त भूमि पर कब्जा था और वे रिकॉर्डेड खातेदार थे।

विचारण न्यायालय द्वारा तनकी संख्या–2 का निर्णय यहां विचारणीय है, जिसमें विचारण न्यायालय का निष्कर्ष है कि :–

"वादी ने खसरा गिरदावरी सं. 2010 से 2055 तक की प्रस्तुत की है जिनके अवलोकन से यह पाया गया कि सं. 2010, 2011, 2012, 2013, 2018, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2030, 2031, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, में जैली का नाम वादी का अथवा वादी के पिता का दर्ज नहीं है । सं. 2014 में काक्षत मोतीकीर दर्ज है सं. 2015 में सबटीनेन्ट सुल्तान सिंह राजपूत कर्त पर दर्ज है । सं. 2016 में सुल्तानसिंह जैली बदूस्तूर दर्ज है सं. 2017 में जैली शिवसिंह हरिसिंह बेटे सुल्तान सिंह राजपूत कर्ता पर दर्ज है । सं. 2019 में सबटीनेन्ट हरिसिंह दर्ज है तथा सं. 2029 में काश्त शिवसिंह हरिसिंह अपदित कदीम अर्से से तथा सं. 2032 में जैली शिवसिंह बल्द सुल्तान सिंह राजपूत साकिन देह दर्ज कर टीप की गई है। प्रस्तुत नजीरात के अनुसार वादी का राजस्थान टीनेन्सी एक्ट अमल में आने को तिथि 15x10x55 एवं इस एक्ट में हुए संशोधनों के अंतर्गत जो शर्ते निर्धारित की गई है उनके तहत उक्त प्रस्तुत रेकार्ड से नियमित कब्जा वादी व उत्तके पिता का सिद्ध नहीं होता है और न ही यह सिद्ध होता है कि उसने किस आधार पर उक्त भूमि को जैली काश्त पर खातेदार से प्राप्त किया था । निरन्तर कब्जे के अभाव में तथा खातेदारी अधिकारों की घोषणा कराने के ठोस प्रमाणों के अभाव में वादी को खातेदारी दर्ज कराने का हक होना सिद्ध नहीं होता है।"

15. उपरोक्त तथ्य के संबंध में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की वृहदपीठ द्वारा रेफरेन्स/टीए/2964/जयपुर/1997 में दिनांक 03.06.2011 में पारित निर्णय आरआरडी 2011 पेज 508 (एलबी) अवलोकनीय है, जिसमें वृहदपीठ द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है किः–

Rajasthan Tenancy Act, 1955– Limitation Act, 1963– Article 64 & 65– Reference–Khatedari rights whether can be conferred on the basis of adverse possession– Provisons of Limitation Act have limited applicability to matters relating to Tenancy Act – No provision to confer tenancy rights on the basis of the adverse possession & Courts can not confered the tenancy rights – BOR has not legislative power to lay down a new law – No tenancy rights can be conferred on the basis of adverse possession.

इस प्रकार माननीय राजस्व मण्डल, अजमेर की वृहदपीठ द्वारा उपरोक्त निर्णय के माध्यम से यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि प्रतिकूल कब्जे

(adverse possession) के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते।

16. क्षणिक तौर पर प्रतिवादीगण की खातेदारी भूमि पर वादी का कब्जा मान भी लिया जाए तो उसकी हैसियत अतिक्रमी के सिवाय कुछ नहीं है और रिकॉर्डेड खातेदार के विधिक अधिकारों के विपरीत अतिक्रमी के अनधिकृत कब्जे को संरक्षण नहीं दिया जा सकता। इस प्रकार परिवर्तित परिस्थितियों में तनकी संख्या 8 विरुद्ध वादी एवं प्रतिवादी के पक्ष में साबित एवं निर्णित होती है। ऐसी दशा में तनकी नंबर 9 अनुतोष में प्रतिवादीगण को इस न्यायालय द्वारा विधिक रूप से सहायता दिया जाना उचित होगा।

17. पक्षकारों के मध्य दीर्घकाल से चल रहे विधिक विवादों को खत्म करने की दृष्टि से यह न्यायालय अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए यह उचित समझता है कि प्रथम अपील न्यायालय राजस्व प्राधिकारी कोटा ने चूंकि विचारण न्यायालय के निर्णय की मेरिट पर अपना कोई निष्कर्ष नहीं दिया है इसलिए यह द्वितीय अपील न्यायालय विचारण न्यायालय के निर्णय पर निष्कर्ष देना उचित समझता है और उपर्युक्त किए गए विवेचन के अनुसार विचारण न्यायालय में पुनः आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. के तहत संशोधन कराए जाने से वाद हेतुक तथा वाद की नोइयत (nature) ही बदल जाती है। अतः आदेश 6 नियम 17 सी.पी.सी. को स्वीकार किए जाने का आदेश अपास्त किया जाना उचित है और पक्षकारों के मध्य पुनः विधिक कार्यवाही के लिए मजबूर किया जाना न्यायहित में उचित नहीं होगा, खासतौर से तब जबकि मामले की मेरिट वादीगण के विरुद्ध एवं प्रतिवादी के पक्ष में निर्णित की गई है। अतः विचारण न्यायालय के निर्णय तनकी संख्या 1 से 7 को यथावत रखते हुए तथा तनकी संख्या 8 एवं 9 को इस द्वितीय नलअपील न्यायालय के उपर्युक्त निष्कर्षो के मद्देनजर मूल दावे के प्रतिवादीगण/ वर्तमान प्रत्यर्थीगण के पक्ष में निर्णित किया जाता है और प्रथम अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा के निर्णय दिनांक 2005 को निरस्त करते हुए यह अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। साथ ही प्रतिवादीगण/प्रत्यर्थीगण को को यह राहत प्रदान की जाती है कि वे विचारण न्यायालय के समक्ष धारा 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत दावा प्रस्तुत कर अपीलार्थी/वादी की विधिवत बेदखली की कार्यवाही करने के लिए स्वतंत्र हैं।

18. निर्णय सुनाया गया।

(राजेन्द्र सिंह कविया)
सदस्य

(टीकम चन्द बोहरा)
सदस्य